बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

सं0–18 / मुक0–03 / 2024– /पटना, दिनांक :–

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0 डब्लू0 जे0 सी0 संख्या–18180 / 2017 मो0 सुशीला शुक्ला बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य, जो स्व0 जे0 पी0 शुक्ला, वरीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, पटना के पारिश्रमिक भुगतान हेतु दायर किया गया था, में दिनांक 03.07.2024 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा न्यायादेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

'' At the outset, the learned counsel for the petitioner submits that substantial amount of professional bills of the deceased senior advocate i.e. the husband of the petitioner herein has already stood paid, however, for redressal of the subsisting grievances, the petitioner be granted liberty to approach the Principal Secretary, Water Resources Department, Government of Bihar, Patna either personally or through her duly appointed attorney. Liberty, so sought, is granted. It is needless to state that in case appropriate representation is filed by the petitioner with regard to redressal of her subsisting grievances i.e. to the effect of non-payment of certain professional bill amount of her husband, the same shall be considered expeditiously by the Principal Secretary, Water Resources Department, Government of Bihar, Patna and a decision shall be taken forthwith. ''

उक्त न्याय निर्णय के आलोक में वादिनी द्वारा दिनांक 30.07.2024 को विभाग में समर्पित अभ्यावेदन के क्रम में निष्पादनोपरान्त यह आदेश पारित किया जा रहा है, जिसके संबंध में तथ्यांकन निम्नवत् है :–

1. माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2024 को पारित न्यायादेश के क्रम में वादिनी द्वारा दिनांक 30.07.2024 को विभाग में अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें पूर्व में प्राप्त भुगतान की कुल राशि ₹ 5,44,950 / – (पांच लाख चौवालिस हजार नौ सौ पचास) की विवरणी तथा शेष भुगतान हेतु कुल ₹ 10,89,255.00 (दस लाख नवासी हजार दो सौ पच्चपन) की राशि का दावा प्रस्तुत किया गया परन्तु अभ्यावेदन के साथ समर्पित कुल 46 विपत्रों की कुल राशि ₹ 10,45,750.00 (दस लाख पैतालीस हजार सात सौ पचास) था। उक्त के अतिरिक्त

वादिनी द्वारा अपने पुत्र श्री अजीत कुमार शुक्ला को मामले के निष्पादन हेतु प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया था।

2. स्व0 शुक्ला के लंबित विपत्रों के मामलों की समीक्षा हेतु दिनांक 20.11.2024 को अपर सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सभी 46 (छियालिस) विपत्रों को क्रमांकित करते हुए विस्तृत समीक्षा किया गया, जिसमें वादिनी प्रतिनिधि श्री अजीत शुक्ला भी उपस्थित थे। समीक्षा के क्रम में उपस्थित वादिनी प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया कि उन्हें 31 (इक्तीस) विपत्रों का भुगतान पूर्व में प्राप्त है। शेष 15 (पन्द्रह) विपत्रों यथा विपत्र संख्या– 4, 6, 7, 10, 16, 21, 23, 26, 30, 32, 33, 34, 36, 37, एवं 45 की समीक्षा विभागीय स्तर पर किया गया, जिसमें पाया गया कि विपत्र संख्या–16 एवं 23 एक ही वाद का समरूप विपत्र है, जबकि विपत्र संख्या–33 शिक्षा विभाग से संबंधित है।

3. दिनांक–21.04.2025 को पुनः अपर सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में द्वितीय समीक्षात्मक बैठक आहुत की गयी, जिसमें वादिनी प्रतिनिधि श्री अजीत कुमार शुक्ला भी उपस्थित थे। उक्त समीक्षात्मक बैठक में श्री शुक्ला से 13 विपत्रों (विपत्र संख्या–4, 6, 7, 10, 16, 21, 26, 30, 32, 34, 36, 37, एवं 45) के संदर्भ में अनुमान्य साक्ष्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया तथा शेष दो विपत्रों में से विपत्र संख्या–23 एवं 16 समरूप पाये जाने के कारण विपत्र संख्या–23 विचारणीय नहीं पाया गया एवं विपत्र संख्या–33 शिक्षा विभाग से संबंधित पाया गया जिसपर वादिनी प्रतिनिधि भी अपनी सहमति प्रदान किये। विभागीय पत्राांक 2272 दिनांक 25.05.2025 द्वारा उक्त 13 विपत्रों के संदर्भ में साक्ष्य देने हेतु वादिनी से अनुरोध किया गया। इसके पश्चात् विभागीय पत्रांक 2707 दिनांक 16.06.2025, पत्रांक 3097 दिनांक 08.07.2025, पत्रांक 4022 दिनांक 22.08.2025 एवं पत्रांक 4976 दिनांक 14.10.2025, द्वारा कुल चार बार उन्हें अनुमान्य साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु स्मारित किया गया परन्तु वादिनी द्वारा विभाग में अनुमान्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

4. दिनांक 08.01.2026 को पुनः तृतीय समीक्षात्मक बैठक अपर सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में आहुत की गयी, जिसमें समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि वादिनी द्वारा 09 विपत्रों यथा 4, 6, 7, 10, 33, 32, 36, 37 एवं 45 का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त विपत्र भुगतेय नहीं है। समिति द्वारा विपत्र संख्या–16, 26 एवं 34 में कन्सलटेशन चार्ज प्रति विपत्र ₹ 3000.00 के दर से एवं तत्संबंधी 10 प्रतिशत के दर से क्लर्केज चार्ज का भुगतान करने का निर्णय लिया। शेष विपत्र संख्या–30 के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि Appearance fee, Clearkage charge सहित

कुल भुगतेय राशि ₹ 29330.00 में से अग्रिम राशि ₹ 15000.00 घटाकर शेष ₹ 14330.00 भुगतेय होगा। साथ ही अग्रेतर कार्रवाई करने के पूर्व समिति की एक बैठक आयोजित कर वादिनी को आमंत्रित कर उनका पक्ष प्राप्त करना निर्णित हुआ।

5. दिनांक 12.02.2026 को वादिनी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के निष्पादन निमित्त चतुर्थ समीक्षात्मक बैठक आहुत की गयी, जिसमें वादिनी को अपना पक्ष रखने हेतु विभागीय पत्रांक 654 दिनांक 03.02.2026 द्वारा आमंत्रित किया गया परन्तु वादिनी/वादिनी प्रतिनिधि उक्त समीक्षात्मक बैठक में सम्मिलित नहीं हुये।

6. दिनांक 08.01.2026 को सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में दिनांक 12.02.2026 को सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक में विपत्र संख्या 16, 26, 30, एवं 34 को भुगतान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही उक्त समीक्षात्मक बैठक में भुगतान के पूर्व विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार से सहमति प्राप्त करने के पश्चात् प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया ।

7. उक्त के क्रम में विपत्र संख्या–16, 26, 30 एवं 34 का जाँचोपरान्त कुल ₹ 24.230.00 (चौबीस हजार दौ सौ तीस रूपये) मात्र के भुगतेयता पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति करते हुए तत्कालीन प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त किया गया। उक्त 04 (चार) भुगतेय योग्य विपत्रों का विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	वाद संख्या	विपत्र संख्या	विपत्र की राशि	भुगतेय राशि	
1.	CWJC NO- 11820/2004 राजेन्द्र चौधरी	16	12650.00	3300.00	
2.	CWJC NO- 2007/2000 राजेन्द्र चौधरी	26	13200.00	3300.00	
3.	LPA..... (CWJC NO- 1570/1999 से उद्भूत) बिहार राज्य एवं अन्य बनाम् धनेश्वर यादव	30	102300.00	14330.00	29330 (देय) –15000 (अग्रिम) =14330.00
4.	CWJC NO- 4608/2000 नवल किशोर सिन्हा	34	9900.00	3300.00	
		4 विपत्र	1,38,050.00	24,230.00	

8. उक्त राशि का भुगतान हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–2639 दिनांक 18.05.2026 निर्गत किया गया। UTR NO-XUTR/RBISH00608408359 द्वारा वादिनी के खाता संख्या–4913149764 में राशि भुगतान कर दिया गया है।

उक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0 डब्लू0 जे0 सी0 संख्या–18180/2017, मो0 सुशीला शुक्ला बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 03.07.2024 को पारित न्यायादेश के क्रम में वादिनी द्वारा दिनांक 30.07.2024 को समर्पित अभ्यावेदन को निष्पादित किया जाता है।

ह0/–
(चन्द्रशेखर सिंह)
सचिव।

ज्ञापांकः – 18/मुक0–03/2024– /पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः–मो0 सुशीला शुक्ला, पत्नी स्व0 जे0 पी0 शुक्ला (वरीय अधिवक्ता), 180 पाटलिपुत्र कॉलोनी, थाना–पाटलिपुत्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(के0 डी0 प्रौज्जवल)
विशेष सचिव।

ज्ञापांकः – 18/मुक0–03/2024– /पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03, 04, 05, 22, 23, 24, एवं 30 (लेखा शाखा), जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
विशेष सचिव।

ज्ञापांकः – 18/मुक0–03/2024– 3482 /पटना–15, दिनांक– 23/6/26

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना Legal matters खंड के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग, बिहार को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

22/6/26
विशेष सचिव।